उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1
संख्या-8/2018/1806/60-1-18-1/13(92)/06 टीसी
लखनऊः दिनांक 02 अगस्त, 2018

अधिसूचना

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा-17 के अन्तर्गत निम्नलिखित महानुभावों को पद ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :-

(1)	श्री विशेष गुप्ता, मुरादाबाद	--	अध्यक्ष
(2)	डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी, लखनऊ	--	सदस्य
(3)	डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी	--	सदस्य
(4)	डॉ0 साक्षी बैजल, आगरा	--	सदस्य
(5)	श्रीमती प्रीती वर्मा, लखीमपुर खीरी	--	सदस्य
(6)	श्रीमती बेबीरानी मौर्य, आगरा	--	सदस्य
(7)	श्रीमती नीता साहू, इलाहाबाद	--	सदस्य

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1806(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
2- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4- अध्यक्ष राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली।
5- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
6- प्रमुख सचिव गृह/गोपन विभाग।
7- जिलाधिकारी, मुरादाबाद/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/लखीमपुर खीरी/इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया मा0 अध्यक्ष/सदस्यों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
8- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ
9- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
11- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।
12- सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।
13- सदस्य सचिव, उ00प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।
14- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संराक्षण आयोग/राज्य महिला आयोग, लखनऊ।
15- सम्बन्धित नामित मा0 अध्यक्ष/सदस्य।
16- महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।